

valkit-chauri

पत्र सं० 4-3
फारल सं० १५
दिनांक २२-३-२१

संख्या-जी०आर०-२६४२/७-१-२०११-८००(३२०५)/२००३

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2011.

विषय:- जनपद-चमोली में तोहसील, गैरसैण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४वी / यू.सी.पी. / ०६ / ३४४ / २००३ / एफ.सी. / २३२४ दिनांक ०८-०२-२०११ में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न आंतर्क्रिया प्रदान करते हैं :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: २११०/१जी-२९१८ (चमोली) दिनांक २२-०२-२०११ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली में तोहसील, गैरसैण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४वी / यू.सी.पी. / ०६ / ३४४ / २००३ / एफ.सी. / २३२४ दिनांक ०८-०२-२०११ में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न आंतर्क्रिया प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा विनिहत ३.२४ हेतु देवलकोट अवनत सिविल एवं सौयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तापुस्तिका के प्रस्तर ३.२(1) एवं ४.२ के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विनिहत सिविल एवं सौयम वन भूमि को ४: माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो नामान्तरित वन अधिनियम, १९२७ के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या ११-१७७ / २०१०-एफ.सी. दिनांक ३-८-२०१०, जिसके द्वारा रायिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक ५-७-२०१० को सम्पन्न वैठक में लिये गये निर्णय को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विनिहत सिविल एवं सौयम वन भूमि को ४: माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैधानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, २००५ के सांतत पालिकानों के तहत द्वारा द्वारा विधायितों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सौयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित वार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को ४: माह की अवधि में संरक्षित वन प्रोपित किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा यह उक्त भूमि अथवा उसके किसी सांग को किसी अन्य विभाग, संस्थां अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अंधवा देकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभावीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वायकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक यनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि व्यक्ति उवर भूमि को ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को दिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सकां अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब ये आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार हांगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर व्योक्ता वृक्षारोपण एवं पौध वर्षा तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य वन की संस्थातियों एवं गू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई रीस/किरासिन तेल की आपूर्ति की जायेगी; जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित मार्गों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रदन्व एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सङ्क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान सं नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डिपिंग स्थलों को चयनित कर चिह्नित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-१०४/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि०-दि०-१-१-२००१, कार्यालय-ज्ञाप-सं०-११०/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०-वि० दि०-४-१-२००१ एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ३-२-१९८ द्वारा-प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

Ach
NAresh CHAMONI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

५४८

भी राजेन्द्र सुमार,
अपर तथिय,
चत्तराखण्ड शासन।

— “ 1553
। इति (ता०)
॥५-॥८-॥

३०८

अपर प्रगुण वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
 वन संरक्षण,
 गूमि सर्वेक्षण निदेशालया,
 इन्दिरानगर फॉरेस्ट कातोनी,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जावलपुर से जसपुर-न्याइ-झंगी मोटर गार्ड के निर्माण हेतु 1.710 रुपये वन मूर्मि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

गुहादय.


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1072/१जी-२६४२ (चमोली) दिनांक 29-10-2010 के सन्दर्भ ने नुड़े यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्ज्वलपुर ते जन्मपुर-गावड़-डुंग्रा खोटर भार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हेक्टर जूमि का नंर बनिकी क्षार्यों हेतु लांक निर्माण दिनांक को प्रत्यावर्तन की त्वाकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४००/पूर्ती.पा. /८५/३३५/२००९/एफ.सी./९५० दिनांक 13-10-2010 में दी गई स्थायकृति के आधार पर निन्म शर्तों पर मुदान करते हैं:-

- रास्थन्धित प्रागार्हीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकार, जो पूर्णतया अन्तिग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी।
6. उवत वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा। उसकी उवत प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को भाग वी आवश्यकता न रहेगी, तो यथासिंहति उवत भूमि वाथया उवत भूमि वाप सा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग वी शिना किसी प्रतिकार गुरतान के वापसा हो जायेगी।
 7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के साथ वाधिकारी वी अनुमति प्राप्त वी जायेगी।
 8. वन विभाग तथा उसके वाधिकारी वी वन विभाग के साथ वाधिकारी वी अनुमति प्राप्त वी जायेगी। भूखण्ड पर प्रदेश करने व उसका निरीक्षण करने वा अधिकार देगा।
 9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावित गार्फ के दोनों ओर रित पड़े रथान्स पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
 10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य वन की रांतुतियों एवं गू-वैज्ञानिक के रुझावां का कलाई रो अनुपालन किया जायेगा।
 11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित योजना के निर्माण एवं तदुपराना रख-रखाव के द्वारा आरा-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकरान नहीं पहुँचाया जायेगा।
 12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत गजदूरों/स्टाफ को रसोई रैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति ही जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दगवाव को कंग किया जा सके।
 13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित रथान्स/वन बीत्र के आरा-पास गजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैग्य नहीं लगाया जायेगा।
 14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आरा-पास वी वन भूमि से निर्गाण गें गिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
 15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण रास्थन्धित ग्रामों की रथानीय जनता वो छक-हक्का के दृष्टिगत किया जायेगा।
 16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गार्फ निर्माण में आवश्यक न्यूनतग वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, वातिपूरक वृक्षारोपण एवं गार्फ के दोनों ओर रित पर रथान्स पर वृक्षारोपण हेतु जमा वी गई धनराशि को गारत रारकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रवन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (nd-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
 18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सङ्क निर्गाण के द्वारा उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निरतारित नहीं किया जायेगा व उत्तरांचल गलवे के उचित निरतारण हेतु गक डिपिंग रथलों को चयनित कर दिहित रथलों पर ही गलवे वा निरतारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं विद्युत रथलों पर ही गलवे वा निरतारण किया जायेगा। उत्सर्जित गलवे को किसी भी जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर कियान्ति किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना दशा में नदी में निरतारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना दशा में इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन समझा जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश उत्तराखण शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप
सं-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वी० दि०-१-१-२००१, कार्यालय ज्ञाप सं०-११०/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा० वी०
दि०-४-१-२००१ एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-२-७५/दस-७७-१४(4)/७४ दिनांक ३-२-१९७७
द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।


NARESH CHAMOLI
 Environment Expert
 FPIU PWD (U-PREPARE)
 Dehradun

प्रेषक,
सुगाख चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

अपर प्रभुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हरतातरण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

८८/१०६/०९

अट्ट

देहरादून: दिनांक: ०२ मई २०१८

विषय:- जनपद चमोली के अंतर्गत भींग गधेरे से गढ़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७९४ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संपर्युक्त विषयक आपके पन्न संख्या-1009/FP/UK/RGAD/17582/2016, दिनांक 16.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-820/x-४-१६/१(२४)/२०१६, दिनांक 24.10.२०१६ में अधिरोपित कर्तिपय शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के अंतर्गत भींग गधेरे से गढ़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७९४ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक रिथ्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संरक्षा अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
- उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथारिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
- निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास स्थित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण-एवं-१०-वर्षों-तक-उसका-रख-रखाव किया जायेगा।
- मा० उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरक्षित योजनाओं एवं जीव जन्तुओं को बोर्ड-नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैरस/किरोसिन तेल वगी आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथत/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कौप्य नहीं लगाया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन गूणि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर गक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तर्जित मलबे का निरस्तारण चिन्हित रथलों पर ही किया जायेगा व उत्तर्जित मलबे को किसी भी वशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निरस्तारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रतित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी को द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलबा निरस्तारण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जगा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की रिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,
(सुभाष चन्द्र)
अप्र सचिव।

संख्या: ५८८ (१) / X-४-१२/१(२४४)/२०१६, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० विधायक, थराली, चमोली को मा० विधायक महोदय के सज्जानार्थ द्वारा नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अधियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली, चमोली।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

आकृति
(सत्यप्रकल्पसंस्थि)
उप सचिव।

